

वन विभाग हरियाणा सरकार
कार्यालय : वन मण्डल अधिकारी, रोहतक

पता : झंग कालोनी, नजदीक विजय पार्क, रोहतक, दूरभाष 01262-256940 E-mail dforohktak2@yahoo.com

क्रमांक
सेवा में,

72

दिनांक 12/4/21

मुख्य वन संरक्षक,
मध्य परिमण्डल,
रोहतक।

विषय : **Diversion of 0.0918 Ha. of forest land for Laying of 132 KV S/C D/C Transmission Line on Kalanaur to Manheru in under forest division and Distt. Rohtak.**

—0—

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अनुरोधपूर्वक लिखा जाता है कि मौजा कलानौर से मानहेरू तक बिजली की लाईन बिछाई जानी प्रस्तावित है। प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा उक्त प्रस्ताव में 0.0918 है० वन भूमि का प्रयोग किया जायेगा। इस प्रस्ताव में वन क्षेत्र के बदले दोगुणा वन क्षेत्र में कम से कम 0.736 आर.के.एम. में 184 बड़े पौधे प्रतिपूर्ति पौधारोपण हेतू, तथा 1.008 आर.के.एम. में 252 बड़े पौधे अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण हेतू, महम माईनर पर आर०डी० 52 से 68 दानों तरफ लगाये जायेंगे। प्रयोक्ता एजैन्सी से 319185.00/-रुपये प्रतिपूर्ति पौधारोपण हेतू, 397404.00/-रुपये अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण हेतू, 81427.00/-रुपये एन०पी०वी० हेतू, 95756.00/-रुपये मृदा एवं नमी संरक्षण चार्ज हेतू, 11748.00/-रुपये वृक्षों की कटाई हेतू, कुल 9,05520.00/-रुपये जमा करवा लिये जायेंगे। उक्त प्रस्ताव में वन विभाग के 22 वृक्ष न० शुद्धा व 12 पौधे पोल साईज तथा 114 छोटै पौधे बाधित होंगे। उक्त केस MOEF की वैबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है। Computer Generated No. FP/HR/Approch/TRANS/118341/2021 है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अर्न्तगत स्वीकृति हेतू केस चैक लिस्ट अनुसार आने लाईन साईट पर अपलोड कर दिया गया है।

उप वन संरक्षक, o/c
रोहतक।

पृ०क्रमांक : 73-75

दिनांक : 12/4/21

इसकी एक प्रति निम्न को :-

1. व०रा०अ०, महम को उनके पत्र क्रमांक 562 दिनांक 25.02.2021 के सन्दर्भ में भेजकर स्पष्ट निर्देश दिये जाते हैं कि आप प्रस्तावित रीच पर किसी अन्य स्कीम के तहत पौधारोपण न करवायें।
2. लेखा शाखा मण्डल कार्यालय रोहतक को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि प्रस्तावित रीच पर किसी अन्य स्कीम के तहत यदि वन राजिक अधिकारी महम द्वारा पौधारोपण करवाया जाता है तो उसके बिल स्वीकृत न करवायें जायें।
3. Executive Engineer, T.S. Division, HVPNL Bhiwani को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

उप वन संरक्षक, o/c
रोहतक।

9/4/2021 8/4/2021